

ट्रांसमिशन लाइनों से प्रतबंध हटाने पर वचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में उत्पादित सौर ऊर्जा के संचरण के लिये लाइनें स्थापित करने हेतु 67,000 वर्ग कमी. से अधिक क्षेत्र छोड़ने पर सहमत वियक्त की, लेकिन कहा कि 13,000 वर्ग कमी. क्षेत्र को अबाधित रहना चाहिये क्योंकि यह लुप्तप्राय पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मुख्य नवास स्थान है।

मुख्य बढि:

- 80,000 वर्ग कमी. क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रसारण के लिये ओवरहेड वदियुत केबलों पर प्रतबंध लगाने का केंद्र सरकार का आदेश कार्यान्वयन योग्य नहीं है।
- इसके अलावा कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों से उत्सर्जन को कम करने के लिये सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और GIB को वलुप्त होने से बचाने हेतु हर संभव कदम उठाने के बीच संतुलन का सुझाव दया गया।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड



- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (अर्डीओटसि नाइग्रसिप्स), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।

- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजातिमानी जाती है, जो चरागाह पारस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
 - इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमति है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- खतरे:
 - वदियुत लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकस्तान में प्रचलति), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि वसितार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।
- सुरक्षा की स्थिति:
 - अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट (IUCN): गंभीर रूप से संकटग्रस्त
 - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परशिषिट-1
 - प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परशिषिट-1
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-considers-lifting-the-ban-on-transmission-lines-through-gib-habitats>

